न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 04/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/3)

1. लाल मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 3 भानीपुरा नोहर।
2. अलीमुदीन पुत्र सराजूदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 भादरा।
3. रियासत पुत्र हाकम अली जाति मुसलमान निवासी सरदारपुरा, नोहर।
4. अकबर खां पुत्र अमीन खां जाति मुसलमान निवासी 28 एनटीआर नोहर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. हुसैना पुत्री अश्क अली जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जरिये मुख्तयारआम शमशाद अली पुत्र अश्क अली जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. चौधरी परमाराम गोदारा शिक्षा समिति भादरा जिला हनुमानगढ जरिए अध्यक्ष राकेश चौधरी पुत्र श्री रामसिह जाति गोदारा निवासी 5 BHD तहसील भादरा।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री ज्ञानसिह विश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 28–12–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्व पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है रेस्पोडेन्ट सं. 1 हुसना पत्नी अश्क अली ने चक 28 एन.टी.आर के इन्तकाल सं. 419 दिनांक 08.08.2012, तहसील नोहर के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर इन्तकाल सं. 419 दिनांक 20.11.2009 को पुनः बहाल करने के आदेश दिनांक 08.08.2012 बअदालत मातहत निरस्त फरमाने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.07.2021 द्वारा अपील

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को स्वीकार कर इन्तकाल सं. 419 दिनांक 20.11.2009 को पुनःबहाल करने के आदेश दिनांक 08.08.2012 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के निमित रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी करने के बावजूद उपस्थित नही हुए।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि कृषि भूमि वाके रोही रामसरा चक 28 एनटीआर तहसील नोहर मे शान मोहम्मद के नाम कुल 69 किलो मे 66.028 है. खातेदारी कृषि भूमि स्थित रही है जो शान मोहम्मद के देहावसान के पश्चात शान मोहम्मद के वारिसान के नाम विरासतन नामान्तरकरण सं. 272 दिनांक 28.02.2004 स्वीकृत किया गया। जो उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा 30.09.2004 को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्व संभागीय आयुक्त बीकनरे मे संमक्ष अपील प्रस्तुत होने पर दिनाक 09.02.2010 को अपील खारिज हुई जिसकी निगरानी सं. 4002/2010 राजस्व मण्डल अजमेर में अब्दुल शकूर बनाम अब्दुल मजीद प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 10.04.2012 को जरिये राजीनामा खारिज हुई। परमाराम द्वारा चक 28 एनटीआर तहसील नोहर की कुल 69 किलो में स्थित 16.028 हैक्टेयर भूमि मे से कुल 2.732 हैक्टेयर जरिये पंजीकृत बैयनामा क्रय कर राजस्व रिकोर्ड मे जरिये नामान्तरकरण सं. 495 दिनांक 14.08.2012 को दर्ज हुआ। उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 15.02.2013 रेस्पोडेन्ट सं. 2 से क्रय कर अपीलान्ट के पक्ष मे बैयनामा तस्दीक कर नामान्तकरण सं. 528 दिनांक 21.08.2013 स्वीकृत किया गया। उक्त भूमि क्रेता राकेश चौधरी द्वारा अपीलान्ट के नाम जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.02.2013 को विक्रय कर दी गई जो अपीलान्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज हुई। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट का धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को जानकारी से

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2021 खारिज किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है इस इसलिए उक्त अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को कोई आपत्ति नही है।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के न्यायालय की अपील सं. 32/2018 निर्णय दिनांक 27.07.2021 में राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज होते हुए भी अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया, अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 की ओर से कोई जवाब/खण्डन प्रस्तुत नही हुआ है, बल्कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिए प्रत्यर्थी सं. 1 को अपील स्वीकार करने पर आपत्ति नही है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपनी भूमि का विक्रय अपीलान्ट सं. 1 ता 4 को किये जाने के पश्चात नामान्तकरण सं. 419 के द्वारा राजस्व अभिलेख मे अमल हो चुका है एवं जमाबन्दी सम्वत 2076 मे खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

8. प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 24.01.2022 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का

अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 03.01.2022 को हुई। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरूद्व जवाब/काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था। अतः अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पर अंकित किये गये कारणो पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.2021 के द्वारा तहसीलदार नोहर के द्वारा के नामान्तकरण सं. 419 के सम्बन्ध में दिनांक 08.08.2012 को नामान्तकरण बहाल किये जाने के आदेश को निरस्त किया है। इस निर्णय में कोई विवेचना नही की गई" पत्रावली का अवलोकन किया। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं. 419 दिनांक 20.11.2009 को पुनः बहाल करने के आदेश दिनांक 08.08.2012 निरस्त किया जाता है।" जिससे स्पष्ट हो सके कि तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 08.08.2012 को खारिज किये जाने के निर्णय का क्या आधार है, इसलिए यह Self speaking order नही है जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नामान्तकरण सं. 419 मूलतः दिनांक 20.11.2009 को स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्व उपखण्ड अधिकारी नोहर में अपील प्रस्तुत होने पर उन्होने अपने निर्णय दिनांक 29.03.2012 को नामान्तकरण सं. 419 के स्वीकृति के समय न्यायालय मे स्थगन आदेश होने के आधार पर निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड किया गया था। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण सं. 419 पर दिनांक 10.7.2012 को नामान्तकरण सं. 419 को खारिज करने का अंकन किया, तत्पश्चात रिमाण्ड प्रकरण की सुनवाई कर राजीनामा के आधार पर दिनांक 08.08.2012 को नामान्तकरण सं. 419 को बहाल करने के आदेश पारित किये। उपखण्ड अधिकारी नोहर के संमक्ष विचाराधीन अपील के दौरान

अति. संभागीय आयुक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रकरण सं. 4002/2010 में जारी स्थगन आदेश से संबधित प्रकरण का दिनांक 10.04.2012 को निर्णय व निगरानी खारिज के रूप में हो चुका है, इस प्रकार वर्तमान मे अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 419 में वर्णित भूमि के संबध में स्थगन आदेश प्रभावी नही है, साथ ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से वकुलाय फरिकेन ने राजीनामा होने का कथन भी किया गया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा अपीलान्ट सं. 1 ता 4 को भूमि का विक्रय होकर नामान्तकरण सं. 495 दर्ज हो चुका है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 27.07.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, पक्षकारो के मध्य वाद/स्थगन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर